न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **20 / 2018** अपील (रसद)

ग्राम सेवा सहकारी समिति गोगुन्दा उचित मुल्य की दुकान गोगुन्दा ए,बी,सी जरीये व्यवस्थापक पन्नासिंह पिता श्री दौलतसिंह परमार राजपूत निवासी छिपाला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर (राज.)

...अप्रार्थी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय उदयपुर मु.नं. 52 / 2017 दिनांक 10.05.2018 अपील अन्तर्गत धारा 22 राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः	1. श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता अपीलार्थी 2. श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 14.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 22 राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति गोगुन्दा को उचित मुल्य दुकान गोगुन्दा ए, बी, सी का लाईसेन्सी है तथा अपीलान्ट के सेन्टर गोगुन्दा ए बी व सी का चार्ज उचित मुल्य की दुकान गोगुन्दा डी सेन्टर के डीलर श्री खुबीलाल को दिनांक 07.04.17 को दिया था। दिनांक 08.06.17 तक गोगुन्दा ए बी सी व डी का संचालन डीलर खुबीलाल द्वारा किया गया। अपीलान्ट को गोगुन्दा ए बी सी सेन्टर

की वितरण व्यवस्था पुनः दिनांक 09.06.17 से दी गई थी परन्तु दिनांक 07.04.17 से दिनांक 08.06.17 तक गोगुन्दा डी सेन्टर के डीलर द्वारा चारो सेन्टरो की वितरण व्यवस्था गोगुन्दा डी सेन्टर की पोस मशीन संख्या 4593 से की गई थी। क्योकि गोगुन्दा ए सेन्टर की पोस मशीन नम्बर 4594 खराब होने से जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा थी तथा अपीलान्ट द्वारा पोस मशीन संख्या 4591, 4592 से जो बिक्री की गई उसकी ऑनलाईन का रेकार्ड अपीलान्ट ने जॉच दल के समक्ष रखा तथा जॉच में किसी प्रकार की अनियमितताऍ नहीं पायी गई। परन्तु गोगुन्दा डी सेन्टर के डीलर के पास दिनांक 07.04.17 से 08.06.17 तक वितरण व्यवस्था थी। उस वक्त खुबीलाल द्वारा गोगुन्दा डी सेन्टर की पोस मशीन से गोगुन्दा ए बी सी व डी चारो सेन्टरो का खाद्यान्न वितरण किया गया। जबकि खुबीलाल ने अपना स्टॉक व पोस मशीन से वितरण का विवरण भी नहीं दिया गया। इसलिये जॉच दल द्वारा अपनी जॉच में खुबीलाल के पास वितरण व्यवस्था के समय के स्टॉक को जोड़े बिना ही अपनी मर्जी से जॉच कर अपीलान्ट के विरूद्ध गलत प्रकरण बनाया। खाद्य विभाग की टीम द्वारा लिखित सुचना के आधार पर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा विधिवत दिया गया। अपीलान्ट के सेन्टर की जॉच दिनांक 22.07.17 को की गई थी। उस वक्त गेहूँ चीनी केरोसीन स्टॉक व पोस मशीन वितरण अनुसार नियमानुसार बराबर पाये गये। जॉच दल ने रेकार्ड की सही जॉच किये बिना अपनी मर्जी से जॉच की गई जबकि अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान गोगुन्दा ए बी सी का लाईसेन्स मई, जुन 2017 में निलम्बित था। अपीलान्ट का लाईसेन्स दिनांक 28.06.17 को जिला रसद अधिकारी उदयपुर ने बहाल किया था। इसके बाद ही अपीलान्ट को उचित मुल्य की दुकान गोगुन्दा ए बी सी का चार्ज उचित मुल्य की दुकान गोगुन्दा डी सेन्टर को दिया हुआ था। खाद्य

सामग्री जो स्टॉक में थी वह खुबीलाल द्वारा नहीं दी गई। इसलिये वक्त जॉच गेहूॅ चीनी केरोसीन कम पायी गई। अपीलान्ट द्वारा ये सब बाते बतायी परन्तु जॉच दल ने अनदेखी कर प्रकरण दर्ज कर दिया। वक्त निरीक्षण पोस मशीन संख्या 4594 खराब होकर जिला रसद कार्यालय मे जमा थी। जिस बात को भी ध्यान में रखे बिना गेहुॅ चीनी केरोसीन को कम बताया गया। अपीलान्ट के सेन्टरो के निलम्बन काल में पोस मशीन संख्या 4593 से ही वैकल्पिक डीलर द्वारा बिक्री की गई थी जिसका ऑनलाईन रेकार्ड दिनांक 22.07.17 को जॉच अधिकारी को दिया गया था। परन्तु उस रेकार्ड को नहीं मानकर गलत पर्चा मौका बनाकर तैयार किया गया। अपीलान्ट द्वारा सेन्टरो का गेहूॅ दिनांक 31.07.17 तक वितरण किया गया था। शेष गेहूॅ केरोसीन जो भी बैलेन्स में था उसे सेन्टर डी के डीलर खुबीलाल जी को सिपुर्द किया था। वक्त जॉच दुकान पर मुल्य सुची बोर्ड लगा हुआ था एवं समस्त खाद्य सामग्री का संधारण किया हुआ था। अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची उपखण्ड अधिकारी गोगून्दा द्वारा नहीं दी गई इसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही ऑडरशीट लिखकर आगे तारीख पेशीयॉ बढाते रहे। दिनांक 04.12.17 को ऑर्डरशीट में आगामी तारीख पेशी दिखायी गई हैं। दिनांक 04.12.17 के बाद में दिनांक 10.05.18 को अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया। जिसमें मुख्य आधार थाना गोगून्दा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को लिया गया हैं। जबकि जॉच में दोषी नहीं माना गया हैं। उसके उपरान्त भी गम्भीर अनियमितता मानकर बिना किसी वजह सबूत साक्ष्य के अपनी मर्जी से अपीलान्ट का लाईसेन्स दिनांक 10.05.18 को निरस्त कर दिया। जिसे निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान की जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पाडेंट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण दिनांक 22.07.17 को जॉच दल द्वारा निरीक्षण किया गया था। जिसमें तीनो सेन्टरो का 48. 31 क्विंटल गेहूॅ, 495 लीटर केरोसीन व 10.08 क्विंटल चीनी कम होना बताया गया। जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलान्ट मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति गोगुन्दा सेन्टर ए बी व सी का प्राधिकार पत्रधारी होकर इन सेन्टरो का लाईसेन्स निलम्बन होने से इसका चार्ज दुकान गोगून्दा डी सेन्टर के डीलर खुबीलाल को दिनांक 07.04.17 का दिया था जिसके द्वारा दिनांक 08.06.17 तक गोगुन्दा ए बी सी व डी का संचालन डीलर खुबीलाल द्वारा किया गया। अपीलान्ट को गोगुन्दा ए बी सी सेन्टर की वितरण व्यवस्था पुनः दिनांक 09.06.17 को दी गई थी। दिनांक 07.04.17 से दिनांक 08.06.17 तक चारो सेन्टरो का कार्य गोगुन्दा डी सेन्टर के माध्यम से खुबीलाल द्वारा किया गया। इन सेन्टरो की वितरण व्यवस्था भी पोस मशीन संख्या 4593 से की गई थी जो सेन्टर डी की थी। गोगुन्दा ए सेन्टर की पोस मशीन नम्बर 4594 खराब होने से जिला रसद अधिकारी उदयपुर के कार्यालय में जमा थी तथा अपीलान्ट द्वारा पोस मशीन संख्या 4591 व 4592 जो बिक्री की गई उसकी ऑनलाईन का रेकार्ड अपीलान्ट ने जॉच दल के समक्ष रखा तथा जॉच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई। सेन्टरो के निलम्बन काल का खाद्यान्न वितरण खुबीलाल द्वारा किया गया था। जिसका स्टॉक व पोस मशीन से वितरण का विवरण भी नहीं दिया गया। इसलिये जॉच दल द्वारा

अपनी जॉच में खुबीलाल के पास वितरण व्यवस्था के समय के स्टॉक को जोड़े बिना ही अपनी मर्जी से जॉच कर अपीलान्ट के विरूद्ध गलत प्रकरण बनाया। खाद्य विभाग की टीम द्वारा लिखित सुचना के आधार पर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसका जवाब भी अपीलान्ट द्वारा विस्तारपुर्वक अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। प्रतर्वन जॉच दल द्वारा दिनांक 22.07.17 को अपीलान्ट की दुकान की जॉच की गई उस वक्त गेहूॅ चीनी केरोसीन स्टॉक व पॉस मशीन वितरण अनुसार बराबर पाये गये। जॉच दल द्वारा रेकार्ड की सही जॉच किये बिना अपनी मर्जी से जॉच की गई जबकि अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान गोगुन्दा ए बी सी का लाईसेन्स माह मई जून 2017 में निलम्बित था। वक्त जॉच गेहूॅ चीनी केरोसीन कम पायी गई। जो स्टॉक में नहीं थी। खुबीलाल द्वारा स्टॉक में खाद्य सामग्री नहीं दी गई। अपीलान्ट द्वारा यह सब बाते जॉच अधिकारी को बतायी गई तो उनके द्वारा अनदेखी कर प्रकरण दर्ज कर दिया गया। पोस मशीन नम्बर 4594 खराब होने की बात भी बतायी गई थी। खुबीलाल द्वारा निलम्बन काल में पॉस मशीन नम्बर 4591 व 4592 का उपयोग नहीं कर अपनी दुकान गागुन्दा डी सेन्टर की पोस मशीन नम्बर 4593 से ही बिक्री की गई थी। जिसका ऑनलाईन रेकार्ड अपीलान्ट द्वारा वक्त जॉच प्रवर्तन स्टाफ को दिनांक 22.07.17 को दिया था। परन्तु उस रिकार्ड को उन्होने नहीं मानकर गलत पर्चा बनाया गया था। गलत पर्चा बनाकर तैयार किया गया। वक्त जॉच दुकान पर मुल्य सूची बोर्ड लगा हुआ था जिसमें समस्त खाद्य सामग्री का संधारण किया हुआ था। अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा नहीं दी गई थी। इसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब हेतु सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का पुर्ण अवसर दिये बिना ही अपनी मर्जी से ऑर्डरशीट दिनांक 29.08.17, 25.09.17, 17.10.

17, 19.11.17 लिखी गई। इन ऑर्डरशीटो पर सक्षम अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आगामी पेशी दिनांक 04.12.17 को ऑर्डरशीट में लिखाई गई तथा उसके बाद इतने दिन तक क्या किया ऐसा एक भी शब्द नहीं लिखा है फिर भी दिनांक 10.05.18 को अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में अपनी मर्जी से अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारीत किया। जिसे निरस्त किया जावें। पुलिस द्वारा भी अपीलान्ट के विरूद्ध जॉच में दोषी नहीं माना हैं। उसके उपरान्त भी अपीलान्ट के विरूद्ध गम्भीर अनियमितताऍ मानकर बिना किसी वजह सबुत साक्ष्य के अपनी मर्जी से अपीलान्ट का लाईसेन्स दिनांक 10.05. 18 को निरस्त कर दिया। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जावें। अपनी बहस की ताईद में ईएफआर 2010 (2) पेज 579, ई एफ आर 2009(1) पेज 376, ईएफआर 2011(1) पेज 651 एवं आर एल डब्ल्यू 1991 (1) पेज 71 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि संयुक्त जॉच दल द्वारा दिनांक 22.07.17 को अपीलान्ट मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति गोगुन्दा सेन्टर ए बी सी की उचित मुल्य दुकानो की जॉच की गई। मौके पर तीनो दुकानो का स्टॉक एक ही जगह सम्मिलित रूप से रखा जाता हैं। लेकिन स्टॉक रजिस्टर अलग अलग बनाये गये हैं। मौके पर यह भी बताया गया कि पोस मशीन संख्या 4594, 4591 व 4592 हैं। जिसमें से सेन्टर ए की मशीन संख्या 4594 खराब होने के कारण सेन्टर की बी की मशीन संख्या 4591 से सेन्टर ए व बी का सम्मिलित रूप से वितरण किया जा रहा हैं। सेन्टर ए बी व सी एक ही का निरीक्षण पर्चा तैयार किया गया। दुकान पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की सही स्थिति का ज्ञान करने पर गेहूॅ 48.31 क्विंटल केरोसीन 495 लीटर व चीनी 10.08 क्विंटल कम मिली। जिसके संबंध में मौके पर उपस्थित अपीलान्ट के प्रतिनिधि सेल्समेन भभुतसिंह द्वारा कोई

संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। मात्र पोस मशीन संख्या 4594 माह सितम्बर से खराब होना बताया। जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें भी अपीलान्ट द्वारा यही जवाब प्रस्तुत किया गया है कि माह मई एवं जुन का स्टॉक गोगुन्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्टॉक में दर्ज नहीं किया गया था एवं पूर्व माल पोस मशीन 4591 व 4592 में दर्ज नहीं किया गया एवं पूर्व का स्टॉक होने से भी भिन्नता पायी गई। जबकि जॉच दल द्वारा जो गेहूँ केरोसीन चीनी अपीलान्ट द्वारा थोक विक्रेता से प्राप्त किया गया और जो वितरण किया गया एवं मौके पर जो भौतिक रूप से खाद्यान्न मिला उसी के अन्तर का निकाला गया हैं। जो खाद्यान्न इनके द्वारा नहीं उठाया गया है उसको अपीलान्ट के नाम नही जोड़ा गया एवं पोस मशीन संख्या 4591 व 4592 से जो वितरण किया गया उसी के आंकड़े लिये गये हैं। अपीलान्ट का यह कथन मान्य नहीं है कि पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है उसमें पुलिस द्वारा उसे दोषी नहीं माना है जबकि वास्तविकता यह है कि पुलिस द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसमें सेल्समेन भभुतसिंह पिता धनसिंह राणावत निवासी जोलावास के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया जाने से न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है जो जैर ट्रायल कोर्ट हैं। पुलिस द्वारा भी अनुसंधान में अपीलान्ट को आरोपित माना हैं। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्रो की शर्तो का उल्लंघन किया गया हैं। साथ ही वितरण कार्यो में भी गम्भीर किस्म की अनियमितताऍ की गई हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत तरीके से बाद सुनवाई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए खारीज किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये आदेश को बहाल रखा जाना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि संयुक्त जॉच दल द्वारा अपीलान्ट मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति गोगुन्दा सेन्टर ए बी सी उचित मुल्य दुकान गोगून्दा का निरीक्षण किया गया। मौके पर भभुतसिंह सेल्समेन उपस्थित मिले। जिनकी उपस्थिति में दुकानो का निरीक्षण किया गया। जिनके द्वारा ही उचित मुल्य की दुकानो का निरीक्षण करवाया गया। तीनो दुकानो का स्टॉक एक ही जगह हैं। वितरण एक ही जगह से किया जा रहा हैं। परन्तु स्टॉक रजिस्टर अलग अलग संधारीत किये हुए थे। मौके पर दिनांक 01.09.16 से दिनांक 21.07.17 तक की पॉस ट्रांजेक्शन समरी की बिक्री में जोड़ा गया तथा दोनो सेन्टरो की आमद व बिक्री को सम्मिलित किया गया हैं। जिसमें मौके पर 48.31 क्विंटल गेहूँ कम मिला, 495 लीटर केरोसीन व 10.08 क्विंटल चीनी कम मिली। जिसका मौके पर उपस्थित सेल्समेन कोई संतोषप्रद जवाब नही दे सका। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट को पर्याप्त साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया जिस पर भी उनके द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 212 दिनांक 15.08.17 दर्ज करवायी गई थी। उस पर भी पुलिस अनुसंधान में सही मानते हुए अपीलान्ट को 3/7 का आरोपी मानते हुए सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया हैं जो जैर ट्रायल कोर्ट हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या अपीलान्ट द्वारा अपने वितरण कार्य में गम्भीर किस्म की अनियमितताऍ की जाना पाया जाता हैं। अपीलान्ट द्वारा आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना

पाये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 52/17 रसद दिनांक 10.05.18 में जो आदेश प्रदान किया गया है वह न्यायोचित हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनकर न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए आदेश प्रदान किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना मैं उचित नहीं समझता हुॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर